राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2318/2024

नीरू सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मंडल, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.07.2024
आदेश की दिनांक : 16.07.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति नायब तहसीलदार के पद पर हुई थी और बाद में उसे तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया गया और वर्तमान में अपीलार्थी 2021 से तहसीलदार के पद पर कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2024 के लिए उप पंजीयक के पद पर नियुक्ति हेतु तैयार पैनल में शामिल नहीं किया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 14.02.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था और इसकी प्रतिलिपि रजिस्ट्रार, राजस्व बोर्ड को भी दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि आदेश दिनांक 13.02.2024 द्वारा पैनल में तहसीलदारों को उप पंजीयक के पद पर पदस्थापन के लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन उक्त आदेश में अपीलार्थी का नाम शामिल नहीं किया गया। अपीलार्थी आरटीएस बैच 28 में चयनित है। अपीलार्थी के खिलाफ किसी भी सेवा नियमों के तहत किसी भी तरह से कोई जांच लंबित नहीं है और इस प्रकार अपीलार्थी पोस्टिंग के उद्देश्य से तैयार किए गए पैनल में वर्ष 2024 के लिए उप पंजीयक के पद पर अपना नाम शामिल करने का हकदार है। राजस्व बोर्ड द्वारा वर्ष 2024 के लिए उप पंजीयक के पद पर पोस्टिंग के उद्देश्य से पैनल तैयार करने के लिए दिनांक 09.02.2023 (अनुलग्नक–3) द्वारा उन तहसीलदारों का विवरण और

रिकॉर्ड मांगा गया था जो उप पंजीयक पद पर काम करने के इच्छुक हैं। अपीलार्थी भी उप पंजीयक के पद पर पोस्टिंग के लिए हकदार एवं पात्र है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.02.2024 को अपास्त किया जावे तथा वर्ष 2024 के लिए उप पंजीयक के पद पर पदोस्टिंग के उद्देश्य से पैनल में अपीलार्थी का नाम शामिल न करने की सीमा तक अपास्त किया जावे। प्रत्यर्थी विभाग को वर्ष 2024 के लिए उप पंजीयक के पद पर पोस्टिंग के उद्देश्य से तैयार किए गए पैनल में अपीलार्थी का नाम शामिल करने के लिए निर्देशित किया जावे।

विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन लम्बित है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत किए गये अभ्यावेदन को राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में निर्णय से दो सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य